ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री अनूप कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति किरणा देवी	23.01.16 से अद्यतन

सचिव :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री मोहिन्द्र पाल	01.04.13 से 04.03.14
2	श्री अश्वनी कुमार	05.03.14 से 07.08.14
3	श्री नवीन डोगरा	08.08.14 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत राजपुर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.97
2	4.3	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
3	4.4	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार	-
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	10.44
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक	1.48

		स्टोर का क्रय करना	
6	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	5.37
7	11	26 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग	-

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 16.03.17 से 20.03.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	06/2013	09/2013
2014-15	03/2015	06/2014
2015-16	02/2016	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 315 दिनांक 18.03.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 16625 (KCCB) दिनांक 20.03.17 द्वारा यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत राजपुर, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत राजपुर, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	148023	33857	18188	31010	150870

			0		
2014-15	150870	167781	318651	15305	303346
2015-16	303346	60127	363473	17377	346096

(2) अनुदानः- ग्राम पंचायत राजपुर, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	792975	1481395	2274370	1717245	557125
2014-15	557125	1785893	2343018	1653851	689167
2015-16	689167	2001941	2691108	1647252	1043856

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्वः स्त्रोत

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 346096

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 1043856

योग `₹1389952

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1736605

हस्तगत राशि : ₹ 724

योग ₹1737329

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, KCCB – 2724	0
General, Own Source, KCCB – 2735	877072
TSC KCCB – 7569	13734
3rd FC KCCB – 5255	20688
IAY KCCB – 7138	0
SDP –KCCB-6189	90716
MPLAD KCCB – 7194	126178
NC –KCCB-7648	43326
13TH FC , KCCB – 7229	561446
VKVNY KCCB – 6633	3001
MMGPY KCCB – 6779	444
कुल राशि	**1736605**

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit

Balance a per Cash Book as on 31.03.16			1389952	-
Amount directly deposited into bank but not accounted for in Cash Book				
Dated	A/C No.	Amount		
18.04.13	2735	18297.00		
08.05.13	2735	9600.00	278012.00	
20.06.13	2735	45240.00		
24.06.13	2735	26731.00		
03.09.13	2735	30056.00		
04.09.13	2735	1644.00		
07.11.13	2735	17250.00		
03.12.13	2735	9750.00		
15.01.14	2735	56906.00		
18.03.14	2735	17250.00		
13.03.15	2735	12900.00		
03.10.13	5255	12145.00		
13.02.14	5255	8098.00		
29.05.14	5255	12145.00		
Outstanding Cheques issued before 31.03.13 but cleared in april 2013			-	28455.00
Interest credited by the bank but not entered in Cash book			805.00	-
Dated	A/C No.	Amount		
31.08.13	5255	9.00		
28.02.14	5255	29.00		
28.02.14	7194	542.00		
28.02.14	7648	225.00		
Cash in Hand (Own Source)			-	724.00
Balance as per Pass Book				**1736605**
Difference			97015	-
Total			**1765784**	**1765784**

4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹97015 के अन्तर बारे :-

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, SDP, 13th FC ZP, एवं 13th FC में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय-2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹97015 का अन्तर पाया गया जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 314 दिनांक 18.03.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । अतः उक्त अन्तर की राशि ₹97015 बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत राजपुर की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.4 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते न लगाना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व अनुदानों को खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

5 भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 में में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 अनुदान ₹ 10.44 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1043856 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का

निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.48 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 147984 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 **₹5.37 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹537192 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना व उपयोग से संबन्धित अभिलेख तैयार कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्य में स्टील के अधिक क्रय के रूप में ₹2714 का अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य " C/o Slab above G.P. Rajpur" की जांच में पाया कि उक्त कार्य हेतु SDP के अन्तर्गत पंचायत को ₹150000/- का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसमे से ₹149957/- का व्यय किया गया था। माप पुस्तिका 1418 के पृष्ठ 87 से 90 में उक्त कार्य के मूल्यांकन सम्बंधित प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में विभिन्न dia की कुल 693.66 किलोग्राम स्टील क्रमशः 8 MM 169.66 किलोग्राम, 10MM281.51 किलोग्राम, 12MM 113.47 किलोग्राम, 16MM 129.24 किलोग्राम, की मात्रा मूल्यांकित की गई थी, जबकि निम्नविवरणानुसार कुल 753 किलोग्राम स्टील का क्रय करके आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था :-

(1) Voucher No. 120 Dated 21.03.13
Bill No. 6674 dated 19.03.13
M/s Mahajan Traders. 610 kg steel
(2) Voucher No. 31 Dated 05.06.14
Bill No. 7707 dated 12.11.13
M/s Mahajan Traders. 143 kg steel

अतः 59 किलोग्राम स्टील का अधिक क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹2714/-(59x46) की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

11 26 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग :-

चयनित माह 06/2013 के वाउचरों एवं भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि निम्न प्रकरणों में 26 बैग सीमेंट का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

(1) वाउचर संख्या 18 दिनांक 20.06.13 की जांच में पाया कि बिल संख्या 90468 दिनांक 20.06.13 द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से 100 बैग सीमेंट क्रय किए थे लेकिन इनका भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था। रोकड़ वही की जांच में पाया कि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या-66 में 65 बैग सीमेंट कार्य "नि. रास्ता पहाडु राम के घर से नीरता राम के घर तक" एवं 30 बैग सीमेंट "नि. रास्ता पहाडु राम के घर से रेलवे लाइन" में प्रयोग किए गए दर्शाये गए थे, जबकि शेष 5 बैग सीमेंट के उपयोग सम्बंधित कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः उक्त शेष 5 बैग सीमेंट बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

(2) सीमेंट के भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि माह 04/2013 में पृष्ठ संख्या 51 में सीमेंट का अन्तशेष 1 बैग के स्थान पर शून्य दर्शाया गया था अर्थात 1 बैग सीमेंट का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

(3) सीमेंट के भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि दिनांक 06.09.13 को पृष्ठ संख्या 51 में सीमेंट का अन्तशेष 20 बैग था एवं इनको भण्डार रजिस्टर से किसी कार्य में प्रयोग हेतु खारिज नहीं किया गया था अतः 20 बैग सीमेंट के प्रयोग सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष: लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)103/2017–खण्ड–1–4941–4944 दिनाँक 10.08.2017 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0), को इस

आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881